



ANNUAL REPORT

YEAR 2024-25

**LOK ASTHA SEWA SANSTHAN
DARRAPARA, GARIYABAND (C.G.)**

Email:lok.astha@gmail.com

Contents

संस्था का संक्षिप्त परिचय :-	2
जनजाति की जानकारी -	4
महिला सशक्तिकरण पर गतिविधिया	5
महिला और जमीन से रिश्ता पर महिलायों की क्षमतावर्धन कार्य	5
स्थानीय समितियों को संवेदनशील बनाने का कार्य	6
विधिक शिविर	6
PVTG महिलाओं की सोंच में बदलाव हेतु एक्स्पोसर विजिट	7
घरेलू महिला हिंसा में कमी लाने कार्य :-	7
जिला स्तरीय महिला मंच सम्मेलन :-	8
महिलायों को अपनी आवाज को रखने हेतु मंच प्रदान करवाना	8
महिलाओं की नेत्रित्व क्षमता विकास प्रशिक्षण -	9
राष्ट्रीय महिला किसान दिवस	9
स्कूल / कालेज में सेसन के माध्यम से यूथ का समझ विकसित करना -	10
जलवायु न्याय की दृष्टीकोण से कार्य	10
महिलायों की आजीविका सुनिश्चित करने हेतु जोड़ना:-	10
NRLM के साथ आजीविका विकल्प पर नेटवर्किंग मीटिंग-	11
जैविक खेती के लिए महिलाओं का समझ विकसित करना	11
खेल के माध्यम से महिलायों एवं किशोरियों को गतिविधि में जोड़ना -	12
PVTG समुदाय में महिलायों की भागीदारी पर जोर देना	13
PVTG समुदाय के यूथ को टेक्नोलाजी व पपेरलेस सर्वे कार्य	13
बच्चों के मुद्दे पर कार्य	13
कार्यकर्ता क्षमता विकास प्रशिक्षण	15
नेटवर्किंग मीटिंग	15
अन्य संस्थायों के साथ नेटवर्किंग मीटिंग -	15
विभागीय इंटरफेस मीटिंग -	15
विभिन्न सरकारी विकास योजनायों से लाभान्वित करने हेतु सहयोग करना	16
जिला स्तर पर बने विभिन्न कमेटियों में लोक आस्था सेवा संस्थान के साथियों को शामिल किया गया है.....	16
FINANCIAL STATEMENT	17

संस्था का संक्षिप्त परिचय :-

इस संस्था का निर्माण स्थानीय युवा साथियों द्वारा जो सामाजिक विचारधारा से जुड़े उन साथियों द्वारा लोक आस्था सेवा संस्थान का सन 2005 में निर्माण किया गया । जिसका रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर 2006 को छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 (सन 1973 का क्र. 44) के अधिन पंजीकृत स्वेच्छिक संगठन है । यह संस्था एक गैर लाभकारी, गैर राजनीति, व गैर धार्मिक प्रकृति की संस्था है । जो समाज में बदलाव लाने की दिशा में अपने स्वप्र व उद्देश्य के साथ इस वर्ष महिला सशक्तिकरण व बालकल्याण के मुद्दे के अंतर्गत - बच्चों के सभी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय की समझ विकसित करना वी प्रेरित करना, महिलायों की प्रत्येक कार्य में निर्णय भूमिका में लाने हेतु समझ विकसित करना, पंचायतराज सशक्तिकरण -ग्रामसभा को सशक्त बनाने के लिए समझ विकसित करना, भोजन पर अधिकार, शिक्षा व स्वास्थ्य के अधिकार पर जागरूकता के अंतर्गत - शिक्षा के अधिकार कानून की क्रियान्वयन की मजबूतीकरण के समुदाय की भागीदारी व विभाग के साथ संवाद तथा समाज में व्याप्त कुरुतियों को दूर करते हुए जेंडर समानता की दिशा में कार्य करना, महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य, रोजगार गारंटी अधिनियम पर जागरूकता, व अन्य शासकीय योजनायों के बारे में जागरूकता करना व अन्य सामाजिक मुद्दे को लेकर कार्य कर रहे हैं ।

स्वप्र :-

एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो शोसन मुक्त, समता मूलक, सामाजिक न्याय आधारित हो जिसमें जाति, रंग, भाषा, संस्कृति व लिंग भेद आधारित ना हो, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से समान अधिकार व सम्मान पूर्वक जीवन बसर कर सके तथा प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा हो ।

उद्देश्य :-

1. समाज के कमजोर वंचित व पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में बदलाव लाने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, कृषि, रोजगार व आय उपार्जन के विभिन्न कर्योक्रमों को प्रोत्साहित करना ।
2. सर्वांगीन महिला विकास व बाल कल्याण के जनशिक्षा
3. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन हेतु लोगों को जागरूक करना ।
4. राष्ट्रीय सामाजिक विकास योजनायों एवं जनकल्याण कार्यक्रमों को लोगों के अनुकूल बनाने में सहयोग प्रदान करना ।
5. आंचलिक संसाधनों पर आधारित कुटीर उद्यमता विकास से स्वावलंबन की खोज एवं प्रशिक्षण

लोक आस्था सेवा संस्थान का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छ. ग. राज्य है जो निम्नांकित क्षेत्र में कार्यरत है, आदिम जनजाति, आदिवासी, दलित व अंतिम पिछड़े वर्ग के साथ कार्य कर रही है । संस्थान वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद, धमतरी व महासमुंद जिला में कार्यरत है ।

लोक आस्था सेवा संस्थान विगत कई वर्षों से महिलाओं एवं बच्चों के मुद्दे पर कार्य करती आ रही है । समय के आधार पर मुद्दे भी बदलते गए हैं । शुरुवात में आदिवासी क्षेत्र होने के कारण महिलाओं में जो डर भर व्याप्त है उसे दूर करने के लिए घर से बाहर निकालने का प्रयास किया गया , छोटे छोटे सरकारी विकास योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित कराया गया । घर में हो रहे हिंसा को कमी लाने के लिए महिलायों के माध्यम से तथा विभागीय समन्वय से महिलाओं में लीडर निकाला गया विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया , विभाग के अधिकारियों को गाँव तक पहुंच बनाया गया, विभाग के साथ मिलकर पोस्टर भी बनाया गया जिससे समाज में जागरूकता बढ़ सके । फिर जमीन का रिश्ता महिलाओं से वर्षों से है तो कानूनी जानकारी के साथ उन्हें जमीन में स्वामित्व को जोड़ने प्रेरित किया जा रहा है , जिससे समाज में जो असामन्ता है उसे दूर किया जा सके तथा परिवार व समाज को हिंसा मुक्त किया जा सके, क्योंकि इस पिरूसत्तात्मक समाज में सोंच व व्यवहार में बदलाव भी महत्वपूर्ण है जितना संपत्ति पर स्वामित्व । समाज में सोंच व व्यवहार परिवर्तन को लेकर जिससे महिलाओं को आगे लाने में , जलवायु परिवर्तन के अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा किशोरी एवं बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है । महिलाओं को प्राकृतिक खेती को अग्रसर किया जा रहा है तथा साथ में किशोरियों को भी जोड़कर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की जा रही । आज सभी जगहों पर महिलाओं एवं किशोरियों में कई प्रकार के हिंसा हो रहे हैं , इस रोकने के लिए हम सभी को आगे आना होगा । बच्चों के मुद्दे भी बहुत संवेदनशील हैं संस्थान बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रही है । सभी एजेंसी , स्टाफ व हमारे प्रबंधकारिणी सदस्यों को धन्यवाद करती हूँ जो कि समाज परिवर्तन में तथा संस्था के उद्देश्यों पर कार्य करने हेतु सहयोग प्रदान कर रहे हैं ।

मुख्यकार्यकारी

लता नेताम

लोक आस्था सेवा संस्थान

वर्ष 2024-25 में संस्था द्वारा किये गए गतिविधि एवं उपलब्धियाँ

जनजाति की जानकारी -

लोक आस्था सेवा संस्थान विशेष समुदाय भुंजिया जनजाति के साथ भी कार्य कर रही है , इस जनजाति की अलग

संस्कृति, रीतिरिवाज , परम्पराए है । इस समाज की बच्चों की जन्म ले लेकर विवाह

और मृत्यु तक अलग तरह से रिवाजे होती है । कम उम्र में ही बच्चों का तीर -कमान के साथ कांडा विवाह कर दिया जाता है तभी मुख्य

विवाह होती है , विवाह के बाद बाह्य खाद्य पदार्थ को खाने से वर्जित हो जाती है । महिलाये बाहर भी ज्यादा नहीं जाते है । इस जनजाति का रसोई घर को लाल बंगला के नाम से जाना जाता है , यहाँ पर अन्य समुदाय के लोगों को जाना वर्जित है यदि कोई धोखे से चले भी जाये तो उन्हें जलाकर दुसरे लाल बंगला का निर्माण करते है । इस जनजाति की कहानी बहुत ही रोचक भी है ,लेकिन इसके साथ ही विकास योजनायों से वंचित भी है । **PVTG (Primitive volenerable Tribe Group)** के अंतर्गत गरियाबंद जिला में कमार एवं भुंजिया जनजाति समुदाय के लोग निवासरत है । यदि भुंजिया जनजाति की बात करे तो छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 10603 है जो कि गरियाबंद जिले में 6973 लोग निवासरत है उसमें से महिला की जनसंख्या 3554 है उनकी परिवार संख्या गरियाबंद जिला में 1559 है । सबसे ज्यादा गरियाबंद ल्लाक में भुंजिया जनजाति निवासरत है । इस समुदाय में महिलायों एवं किशोरियों के लिए कई सारे परम्पराए है , रीतिरिवाज है जिससे महिलायों एवं किशोरियों के लिए बहुत सारे बंधने है । इस बन्धनों के कारण अन्य महिलायों एवं किशोरियों की तरह खान-पान, पहनावा, रहन- सहन नहीं कर पाते है । ऐसे महिलायों को आगे लाने , समाज में महिलायों की भूमिका , भागीदारी में बढ़ोतरी किया जा रहा है ।



महिला सशक्तिकरण पर गतिविधिया

लोक आस्था सेवा संस्थान विगत कई वर्षों से महिलाओं के मुद्दे पर कार्य करती आ रही है।

- महिलाओं पर हो रहे हिंसा में कमी लाना
- समाज में समानता लाने के उद्देश्य से महिलाओं को विभिन्न योजना व स्वामित्व पर कार्य
- जलवायु न्याय पर कार्य -जैसे जैविक खेती को बढ़ावा देना, मोटे अनाज
- रुद्धिगत प्रथाओं को दूर करते हुए महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवनयापन के लिए कार्य
- महिलाओं में नेत्रित्व क्षमता का विकास करना

महिला और जमीन से रिश्ता पर महिलाओं की क्षमतावर्धन कार्य

इस पुरुष प्रधान समाज में भूमि को हमेशा से पुरुषों की नजरिये से देखते हैं लेकिन जमीन पर कार्य करने में महिलाये कभी पीछे नहीं रही हैं। खेती कार्यों में सभी कार्य महिलायों के द्वारा सामान रूप से कार्य की जाती है लेकिन जमीन पर नाम पुरुषों का होता है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए नजरिये में बदलाव के लिए महिलायों की क्षमता वर्धन किया गया। जब जमीन की बिक्री भी होती है तो पुरुषों के द्वारा ही जमीन की बिक्री जी गयी है क्योंकि महिलायों का नाम नहीं होने से उनकी पूछ परख भी नहीं होती है। महिला हमेशा से भूमि /जमीन से रिश्ता रखता है और उनके साथ

आत्मीय रूप से जुड़ाव रहता है।

एक अध्ययन से भी जानकारी प्राप्त हुआ कि महिलायों के नाम पर 10% ही जमीन है बाकि 90% पुरुषों के नाम है, जब अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2005 नियम 2006 व 2007 संसोधित 2012, इसके अंतर्गत भी वर्षों से कबिज जमीन का अधिकार पत्र पुरुषों के नाम पर ही दावा कर अधिकार पत्र प्रदान किया गया। यह अनुभव किया गया है कि समाज में समानता के लिए महिलायों एवं पुरुषों दोनों के नाम पर सामान रूप से भूमि हो। इसके लिए समाज में महिलायों एवं पुरुषों के साथ सोंच

में बदलाव लाने के लिए कार्य किया जा रहा है।

संस्थान इस दो वर्षों में एक सोंच में बदलाव लाया गया तथा इसके बाद वनाधिकार के अंतर्गत महिलायों के नाम पर दावा फार्म भी भरा जा रहा है। समाज को भी सुरुवात में महिलायों के नाम पर जमीन चुनौती था क्योंकि जमीन को हमेशा से पुरुषों से ही जोड़कर देखा गया है। एक सोंच भी बना हुआ जिसे तोड़ने की कोशिश किया गया।

महिलायों को जमीन से रिश्ता पर अलग अलग प्रशिक्षण व कार्यशाला के माध्यम से सक्षम बनाने का प्रयास किया गया जिसमें दस्तावेज के बारे में जानकारी, विभाग के बारे

में जानकरी देना , जिससे उनकी हौसला पड़ता गया , इस कार्य में पुरुषों का भी बहुत ही योगदान रहा है । रिपोर्ट के लिखे जाने तक तीन वर्षों में 30 गाँव के 769 महिलायों ने अपने नाम पर दावा फार्म

जमा कर चुके हैं जिससे उनकी जो जमीन की साथ रिश्ता है वह स्वामित्व में सुनिश्चित हो सके ।

पुरे प्रक्रिया से महिलाओं के हौसले बुलंद हुए तथा महिलाओं को भूमि पर अधिकार पत्र के लिए

कार्यवाही करते हुए कुल 158 भूमि स्वामित्व प्राप्त हुए हैं जिसमें वे आगे जैविक खेती की और अग्रसर होने लगे हैं ।

स्थानीय समितियों को संवेदनशील बनाने का कार्य

भूमि स्वामित्व पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर भूमि स्वामित्व के लिए स्थानीय समिति जैसे **FRC** (*Forest Right Committee*) , **PRI** (*Pancayat Raj institute*) को महिलायों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उनके साथ प्रशिक्षण / कार्यशाला आयोजित किया गया । अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी अधिनियम के अंतर्गत **FRC** व **PRI** सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है , जिसके कारण उन्हें इस पुरुषप्रधान समाज में महिलायों के प्रति जमीन को जोड़ने के लिए सोंच में परिवर्तन किया गया । जिससे वे सभी महिलायों को जमीन / भूमि स्वामित्व के लिए सपोर्ट किये । समाज में समानता लाने के उद्देश्य के लिए महिलाओं के नाम पर भी भूमि स्वामित्व अधिक जरूरी है ताकि पुरुषों एवं महिलाओं में संपत्ति पर समान अधिकार सुनिश्चित हो सके । इसके लिए जो स्थानीय समिति है उसे भी संवेदनशील होकर कार्य करने के लिए उनके साथ बार बार बैठक कार्यशाला , प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी प्रदान किया गया जिससे महिलाओं को भूमि स्वामित्व पर सहयोग प्रदान हुआ ।

विधिक शिविर

महिलाओं के लिए विधिक शिविर का आयोजन दिनांक 23 जून 2024 को आक्सन हाल गरियाबंद में किया गया जिसमें कुल 210 प्रतिभागी ने भाग लिए । इस शिविर में विशेष सत्र

जिला न्याय लय गरिया बंद से श्री यशवंत वासनि कर जी ,



अपर जिला एवं सत्र न्यायालय गरियाबंद से श्रीमती तेजेश्वरी देवी देवांगन जी, एवं श्री प्रशांत

कुमार देवांगन जी विशेष (पोक्सो) सव्यवहार न्यायायलय गरियाबंद उपश्थित होकर महिलाओं एवं बच्चों से सम्बंधित कानून के बारे में जानकारी दिया। उपश्थित न्यायधिशो के द्वारा बच्चों के पाक्सो कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया तथा माता पिता को बच्चों के जानकारी देने के लिए कहा गया जिससे बच्चों में समझ बन सके। महिलाओं को भूमि में अधिकार के बारे में जानकारी दिया जिसके अंतर्गत पिता के भूमि पर सामान अधिकार के लिए संपत्ति के अधिकार कानून के बारे जानकारी दिया तथा सभी महिलाओं को आह्वान भी किया कि महिलाओं को समानता का अधिकार है जिसके लिए आगे आना होगा, जागरूक होना होगा तभी महिलाओं को कानूनी जानकारी बहुत जरुरी है, अपने आत्मसम्मान के लिए, हक के लिए तथा समाज में समानता के लिए। आदिवासी विभाग से आये साथियों के द्वारा भी वनाधिकार में महिलाओं को भूमि अधिकार के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया।

PVTG महिलाओं की सोंच में बदलाव हेतु एक्स्पोजर विजिट

दिनांक 28 से 30 जून 2024 को पुरी उड़ीसा में कुल 32 महिलाओं को चिलका में महिलाओं के द्वारा आजीविका के मुद्दे पर कार्य कर रहे थे उस पर समझ विकसित करने के लिए फिल्ड भ्रमण कराया गया। PVTG भुजिया समुदाय के महिलाओं को बाहर का खाना वर्जित है तथा कई सारे प्रथाओं से बंधे हुए हैं जो उनकी अधिकारों का हनन करती हैं, महिलाओं को एक अलग माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य भी यह एक्स्पोजर सार्थक रहा। वे सभी एक नए माहौल में आकर अपने को फ्रीडम महसूस किये तथा वे महिलाये एक लीडरशिप के रूप में आगे भी आये, एस एक्स्पोजर के माध्यम से उनकी सोंच में बदलाव लाने का प्रयास किया गया जिससे वे समाज में सम्मान व समानता के लिए एक कदम आगे बढ़ सके।

घरेलु महिला हिंसा में कमी लाने कार्य :-

संस्थान विभाग के साथ 2014 से महिला हिंसा में कमी लाने पर कार्य करती आ रही है तथा 181 का प्रचार -प्रसार भी किया गया। संस्थान सखी वन स्टाफ सेंटर के सञ्चालन कमिटी में भी है जो की महिला घरेलु हिंसा के केसेस को सीधे अब सखी सेंटर रेफर कर दी जाती है जिससे महिलाओं को न्याय प्राप्त हो तथा जिला में महिलाओं में हिंसा में कमी आये। विभिन्न कार्यक्रम से माध्यम से भी महिलाओं को महिला हिंसा कानून के बारे में जानकारी दी जाती है तथ गाँव स्तर पर महिलाओं की न्याय समिति के दीदियों के द्वारा इस महिला घरेलु हिंसा के केसेस में न्याय करने के जाती है।

जिला स्तरीय महिला मंच सम्मेलन :-

दिनांक 6 मार्च 2025 को वन विभाग के आक्षन हाल में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय महिला मंच सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें जिला से 446 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

महिला दिवस : आवशन हाल गरियाबंद में किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम

महिलाएं सभी विभाग में पदस्थ, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही : अनिता ध्रुव

हाइकॉम न्यूज ►► गरियाबंद



इस कार्यक्रम में
गरियाबंद जिला के
न्यायाधीश श्री
यशवंत वासनिकर
जी- अतिरिक्त
जिला एवं सत्र
न्यायालय (पाक्सो)
गरियाबंद ,
न्यायाधीश श्रीमती
तेजेश्वरी देवी

देवांगन जी - अपर जिला एवं सत्र न्यायलय गरियाबंद व मुख्य न्यायाधीश श्रीमती अनीता धूव जी - प्रथम व्यक्तिर न्यायलय गरियाबंद की उपस्थिति रही जो कि उन्होंने विभिन्न कानून की जानकारी दिया तथा महिलाओं के बिना जीवन की कल्पना नहीं हो सकती बताया गया तथा महिलाओं को आगे आकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया । नारी की समाज में सम्मान होनी चाहिए इसके लिए महिलाओं को उस स्तर पर आने के लिए आगे बढ़ना होगा तभी समाज में समानता आएगी । महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी व परियोजना अधिकारी ने भाग लेकर महिलायों को उद्घोषन दिए तथा सखी वन स्टाफ सेंटर से भी महिलाओं के लिए टोल फ्री नम्बर 181 की सुविधा के बारे में जानकारी दिया गया । इस कार्यक्रम इस कार्यक्रम में संगवारी महिला मंच की महिलाओं ने अपनी संघर्ष की कहानी बताये जिससे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा मिली ।

महिलायों को अपनी आवाज को रखने हेतु मंच प्रदान करवाना

संस्थान आदिवासी व आदिमजन जाति समुदाय के साथ कार्य कर रही है , जो अपनी बातों को रखने हेतु जिझक, डर महसूस करते हैं । इसके लिए छुरा में 4 व गरियाबंद ब्लाक में 2 कलस्टर में गाँव को विभाजित कर महिलाओं को एक मंच प्रदान करने का कार्य किया गया । जहाँ पर अपने - अपने कलस्टर में वह खुलकर अपनी आवाज को रख सके । इस

Annual Report 24-25

LASS

प्रक्रिया से महिलाये अपनी आवाज / समस्या को अपने मंच में रख पा रहे हैं और SMM के सहयोग से वे मिलकर समस्याओं को हल भी कर रहे हैं। महिलाये अपने अपने कलस्टर का नेत्रित्व करते हुए जो कलस्टर में समस्या आते हैं उस पर विभाग के साथ बातचीत करते समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।

महिलाओं की नेत्रित्व क्षमता विकास के लिए कार्यक्रम -

महिलाओं में नेत्रित्व विकास के लिए अलग अलग विषय पर प्रशिक्षण आयोजित कर क्षमता विकास का कार्य किया गया जिससे महिलाओं में एक लीडर शिप की भूमिका बढ़े।

1. Legal Training

2. Training on Woman domestic violence Act

3. Training on PESA Act

4. Annual Gathering of Mahila m


5. Exposer visit with PVTG Woman

राष्ट्रीय महिला किसान दिवस

दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को स्थान कोदोपाली गरियाबंद में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें महिलाये अपनी अपनी विचार रखे तथा महिलाओं के लिए एक अलग पहचान को आगे बढ़ाने के लिए आह्वान किये। महिला एवं भूमि से रिश्ता को लेकर महिलायों के द्वारा भूमि पर दावा किया जा रहा है जो वर्षों से काबिज कर परिवार का जीवकोपार्जन कर रहे हैं। लेकिन महिलायों के नाम पर जमीन नहीं है फिर भी वे जमीन/ भूमि के साथ उनकी रिश्ता वर्षों से है, इसे लेकर जिला स्तर पर महिलायों के लिए भूमि पर आने वाले दिक्कतों के हल के लिए व सहयोग करने के लिए जिला स्तर पर महिला किसान फोरम का गठन किया गया इस फोरम के माध्यम से महिलाओं को भूमि स्वामित्व के लिए कार्य की जा रही है।

स्कूल /कालेज में सेसन के माध्यम से यूथ का समझ विकसित करना -

स्कूल एवं कालेज यूथ के लिए वह पड़ाव है जिसमें वह सीखते हैं और उन्हीं दिशा में अग्रसर होते भी हैं, समझ नहीं होने से विभिन्न दिशा में चले जाते हैं। इस उम्र के यूथ का सोंच हमेशा खोजने के प्रक्रिया में भी होते हैं। 10 स्कूल /कालेज में कुल 1749 यूथ तक पहुँच बनाया गया जिसमें पोस्को एक्ट, बाल विवाह कानून, सायबर अपराध, महिला घरेलु हिंसा कानून, बाल अधिकार व स्किल विकास के बारे में प्रोजेक्टर से फ़िल्म व अन्य पोस्टर पाम्पलेट के माध्यम से समझ बनाया गया और समाज में बदलाव की दिशा में प्रेरित किया गया जिससे नये समाज की निर्माण हो सके।



जलवायु न्याय की दृष्टिकोण से कार्य

महिलाओं की आजीविका सुनिश्चित करने हेतु जोड़ना :-

मोटे अनाज (कोदो, माडिया व अन्य दलहन) तथा सब्जी की खेती स्वाश्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो है इसके साथ जलवायु के द्रिस्टकोण से भी बहुत अनिवार्य है। महिलाओं को इस पर आजीविका के लिए अलग अलग माध्यम से समझ विकसित करते हुए प्रेरित किया जा रहा है। मोटे अनाज की खेती मृदा के स्वाश्य के लिए भी अनिवार्य है क्योंकि वर्तमान समय में कम जलवायु परिवर्तन के कारण खेती भी एक रिस्क हो गया है, इस परिश्थिति से निपटने के लिए मोटे अनाज की खेती कई मायने में फायदामंद है। महिलाये हमेशा से खेती से जुड़ी हुयी है और उन्हें मोटे अनाज की खेती से आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया।

NRLM के साथ आजीविका विकल्प पर नेटवर्किंग मीटिंग -

दिनांक 29/08 /2024 तथा 15/06/ 2024 को मदनपुर व होटल सिटी रेजेन्सी गरियाबंद में महिलाओं की आजीविका मुद्दे पर मीटिंग रखा गया जिसमें NRLM से उप्लिखित साथी -जुब्रियल जान के द्वारा आजीविका के बारे में बताया। आजीविका के दो रूपों के बारे में बताया जिसमें कृषि आधारित तथा गैर कृषि आधारित कृषि आधारित के अंतर्गत कोदो कुटकी, माडिया पर खेती करने अधिक जोर दिया, इसकी बाजार में अधिक मांग है दूसरा गैर कृषि के अंतर्गत महिला समूह अलग अलग रूपों में कार्य कर रही है लेकिन सबसे पहले हमें बाजार के बेलु एडिसन पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी व्यापार शुरू करने उसके पहले हमें एक प्लान बनाकर चलाना चाहिए जिसमें विज्ञापन भी बहुत महत्वपूर्ण है यदि हम अपनी सामान का प्रचार -प्रसार नहीं करेंगे तो बिक्री में कमी हो जाएगी इसलिए एक ब्रांड के साथ अछे क्वालिटी के साथ कार्य करने की जरूरत होती है। संगवारी महिला मंच के साथ मिलकर कार्य करने हेतु जानकारी दिया गया। प्रथम वह जिमीकंद के आजीविका पर सुझाव दिया तथा दुसरे मोटे अनाज की खेती के माध्यम से आजीविका को सुनिश्चित की जा सकती है।

जैविक खेती के लिए महिलाओं का समझ विकसित करना

जलवायु न्याय के दृष्टीकोण से महिलाओं को जैविक खेती की ओर अग्रसर होने के लिए संस्थान के द्वारा जागरूकता

लाया गया । महिलाये खेती से जुड़ी हुई है और वर्तमान समय में अत्यधिक रासायनिक दवा एवं खाद के उपयोग से मृदा की स्वाश्थ्य में कुप्रभाव पढ़ रहे हैं । महंगे रसायन का उपयोग कर खेती में जो लाभान्वित होनी चाहिए वह नहीं हो पा रहे हैं इस पर महिलाओं को प्राप्त भूमि स्वामित्व पर जैविक /प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया । विभाग के साथ समन्वय बनाकर खेती में जैविक दवा

हरिभूमि

epaper.haribhoomi.com
Raipur Ratan Bhoomi - 11 April 2025 - Page 4

प्रशिक्षण : जैविक खेती व प्राकृतिक खेती पर क्षमता विकास प्रशिक्षण में 40 महिला किसान हुई शामिल

जैविक एवं प्राकृतिक नें रासायनिक खेती से आती है कम लागत, अनेकों लाभ

हरिभूमि लूगों मा गहिरावट

महिला किसान मध्यिकाओं का एकदिवसीयों जैविक खेती/प्राकृतिक खेती पर क्षमता विकास प्रशिक्षण लाभ लेने आया संवाद संस्थान पर तकनीकों स्थायी कृषि विज्ञान केंद्र यांगोबाद के द्वारा चुम्बिनी के सरकारी सेंटरों में कुर्स विज्ञान केंद्र यांगोबाद में आयोजित किया गया। विज्ञान कुरा और यांगोबाद बर्बाद की 40 महिला किसान शामिल हुई। प्रशिक्षण की शुरुआत करते हुए ठ. मनीष पोखरेश्वर चहरे वैज्ञानिक और संस्था प्रबुद्ध लाल नेहरू ने मध्यमांश का व्यवापार करते हुए मनीष ने बताया कि जैविक/ प्राकृतिक खेती यांगोबाद खेती से लगातार लाभ आता है और इसका लाभ बहुत है। यांगोबाद की योग्यता और मिट्टी प्रबुद्ध नहीं खेती है। प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में बताया। इसके

बाबू डाक्टर शाल अब्दुल हाम कृषि वैज्ञानिक ने जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे जानकारी देते हुए बताया कि 1960 की दौरे में हमारा देश खाद्यान्कों की संकट की विविधता में या उसके बाद हरिता क्रांति का

दूसरा आया जिसमें खेतावाका के बढ़वाका के लिए साधारण खेती की मुश्किलों का लोकतांत्रिक आज के दौरे में इस खाद्यान्कों की संकट से बाहर आ चुकी है और इस से एक बार प्राकृतिक और जैविक खेती का अंतर्लाल

रहे हैं प्राकृतिक खेती का आशाव है कि इसमें खेती की भी कार्रवाई का गश्तावाहक कार्रवाई का दर्शनाल नहीं करते हैं इसी देशी खेती की बहुत जाता है। यह एक प्राचीन पद्धति है।

एवं जैविक खाद निर्माण कर स्वं उपयोग करना तथा उत्पादन की बाजार तक पहुँच बनाने हेतु विभाग के साथ भी बातचीत किया गया , जिस पर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जैविक/ प्राकृतिक विधि से खेती करने के लिए सहयोग करने के लिए सहमती दिए ।

वन अधिकार, दावा प्रक्रिया और क्रान्ती सहायता पर प्रशिक्षण

दिनांक 17 मार्च 2025 को स्थान नवागांव महासमुंद में वनाधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन अधिकार के लिए वनाधिकार समिति को क्रान्ती जानकारी प्रदान किया गया । इस प्रशिक्षण में अलग अलग वक्ता द्वारा वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया और सामुदायिक अधिकार की प्रक्रिया के लिए आगे आकर पर्यावरण की संरक्षण किया जा सकता है । उसकी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज , ग्रामसभा की भूमिका, प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया ।

खेल के माध्यम से महिलाओं एवं किशोरियों को गतिविधि में जोड़ना -

गरियाबंद जिला के छुरा गरियाबंद ब्लाक में 4 खेल उत्सव का कार्यक्रम छुरा ब्लाक में देवरी व परसापानी में तथा गरियाबंद ब्लाक में कोदोपाली में किया गया , कोदोपाली जो भुजिया जनजाति की राजधानी भी कहा जाता है है । यह खेल समुदाय के लिए मनोरंजन के साथ साथ एक जागरूकता के रूप में अपनाया गया । इस खेल के माध्यम से महिलाओं एवं किशोरियों को निकाला गया और समाज में व्याप्त कई रुदियोवादी को उत्साह में आकर तोड़ा गया । महिलाओं एवं किशोरी के लिए एक बंधन के रूप में वर्षों से व्याप्त था । इस कबड्डी खेल को समाज मर्दानगी के रूप में देखते है ,

जब महिलाये इस खेल को साड़ी पहन कर खेलती है तो उस समय अलग ही ताकत महिलाओं में देखने को मिलते है । जब खेल के लिए मैदान में उतरती है तो सभी रिवाजो , परम्परयों को नजरंदाज करते हुए उनके पास सिर्फ खेल भावना आ जाती है , खेल एक अवसर भी प्रदान करती है , अपनी ताकत, आवाज को आगे लाने के लिए । इस खेल को देखकर पुरुष कभी शांत नहीं बैठते थे उसमे भी खेलने की भावना उत्पन्न होते थे

महिलाओं के मैच में ग्राम अनेटी प्रथम

महिलाओं को अवसर मिले तो समाज में बदलाव संभव

दृष्टिकोण नवजून ||| गरियाबंद

जिले के ग्राम पंचायत लोहारी के कोटोपाली में प्राचीनकाल से संवर्धन के साथ संवर्धन के साथ से महिलाओं और किशोरियों के सम्बन्ध प्रदान से महिलाओं और किशोरियों के लिए खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया । वह आवाजन खास था, क्योंकि वह पर्यावरण ब्लॉक के लिए खेला गया था । कार्यक्रम की सुरक्षा संवारी महिला मंड़ी खेल वर्षों से न को किंवदं खेल के दौरान किशोरियों में ग्राम कोटोपाली की टीम ने खेला स्थान हासिल किया । जबकि दूसरा स्थान ग्राम किंवदंपाली की टीम को मिला । महिलाओं के मैच में ग्राम अनेटी ने खेला और ग्राम कोटोपाली ने दूसरा स्थान प्राप्त किया । खास बात यह रही कि भूजिया समुदाय की महिलाओं ने पहली बार क्रिकेट खेला, जो उनके लिए बेदम गवर का क्षण था ।



कार्यक्रम में क्षेत्र के जनशक्तियों और महिलाओं के लिए प्रेरणाप्रद वर्ष है, और ऐसे को दांतवाय कला पंचायत के सचिव अधिकारी भी शामिल हुए । लोहारी पंचायत कार्यक्रम लगातार होने रहने चाहिए । एसमल साहू ने लोक आस्या के इस प्रयास में मूर्सिंह नवजून ने कहा कि वह आयोजन महिलाओं के लिए इस प्रयास की संरक्षण बनाने की दिशा में

और महिलायों को खूब सपोर्ट करते जिससे महिलायों एवं किशोरियों की हौसला भी बढ़ते गए । इस खेल के माध्यम से महिलायों एवं किशोरियों को घर , समाज से निकाल कर SMM में जोड़ा गया । महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं की भय , डर को दूर करते हुए उनके नेत्रित्व को आगे लाना भी खेल एक अच्छा माध्यम बना, समाज के प्रत्येक वर्ग इस खेल के लिए प्रोत्साहित करते हैं , लेकिन आज भी एक चुनौती है जब महिलाओं को कबड्डी के खेल के लिए तैयार करना उन्हें मैदान तक उतारना खासकर भुंजिया समुदाय की महिलाओं के लिए ।

PVTG समुदाय में महिलायों की भागीदारी पर जोर देना

PVTG (Primitive Vulnerable Tribe Group) के अंतर्गत गरियाबंद जिला में कमार एवं भुंजिया जनजाति समुदाय के लोग निवासरत हैं । यदि भुंजिया जनजाति की बात करे तो छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 10603 है जो कि गरियाबंद जिले में 6973 लोग निवासरत हैं उसमें से महिला की जनसंख्या 3554 है उनकी परिवार संख्या गरियाबंद जिला में 1559 है । सबसे ज्यादा गरियाबंद ब्लाक में भुंजिया जनजाति निवासरत है । इस समुदाय में महिलायों एवं किशोरियों के लिए कई सारे परम्पराएं हैं , रीतिरिवाज है जिससे महिलायों एवं किशोरियों के लिए बहुत सारे बंधने हैं । इस बंधनों के कारण अन्य महिलायों एवं किशोरियों की तरह खान-पान, पहनावा, रहन-सहन नहीं कर पाते हैं । ऐसे महिलायों को आगे लाने , समाज में महिलायों की भूमिका , भागीदारी में बढ़ोतरी किया जा रहा है ।


PVTG समुदाय के यूथ को टेक्नोलॉजी व पेपरलेस सर्वे कार्य

वर्ष 2024-25 में यूथ को kobocollect टूल के माध्यम से सर्वे कराया गया , खासकर भुंजिया जनजाति के यूथ को जो कि वे अपने एक कलस्टर में प्रधम शुरुवात किया , इस सर्वे से यूथ को बहुत ही रोचक लगा , नया नया टेक्नो के बारे में सिखने को मिला । खं अपने ही समाज के जनजाति की जानकारी इकट्ठा करना शुरू किये तो भुंजिया विकास प्राधिकरण व अन्य विभाग के द्वारा शिविर लगाना शुरू किये और समस्यायों की समाधान करने लगे , इससे समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित हुआ और छोटे छोटे समस्यायों को शिविर के माध्यम से निराकरण भी हुआ । इस यूथ लोगों को ग्रामीण स्तर पर समाज के सोंच में बदलाव की दिशा में कार्य करने के लिए तैयार किया जा रहा है ।

बच्चों के मुद्दे पर कार्य

आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र के गाँव में बच्चों के कुपोषण दूर करने के लिए 20 लईकाघर का सञ्चालन किया जा रहा है । इस लईका घर में लईका घर देखभाल कार्यकर्ता के माध्यम से

प्रतिदिन बच्चों की उपशिथि करके बच्चों को मेनू के आधार पर खाद्य दिया जाता है , प्रतिमाह बच्चों की ग्रोथ मानिटरिंग की जाती है , स्टाफ के माध्यम से होम विजित करके माता पिता को स्वास्थ्य , स्वच्छता के बारे में समझ विकसित किया जाता है | अतिगंभीर कुपोषित बच्चों को NRC रिफेर भी किया जाता है | यह मार्च 2025 की स्थिति में 12 लईका घर की स्थिति था जिसमें कुल 177 बच्चे भर्ती हुए थे उसमें से स्थिति को दिखाया जा रहा है 50% से कम बच्चे ही सामान्य की स्थिति में हैं बाकि ज्यादा बच्चे कुपोषण की क्षेणी में हैं , जिसके लिए लईका घर का सञ्चालन किया जा रहा है |



लईका घर के लिए देखभाल कार्यकर्ता का चयन कर प्रशिक्षित कर 20 केंद्र का सञ्चालन

धमतरी जिला के नगरी ब्लाक के 20 लईका घर केंद्र सञ्चालन के लिए सर्वप्रथम देखभाल कार्यकर्ता का समुदाय के सहमती से प्रत्येक लईका घर में 2 दीदियों का चयन के लिए

आवेदन आमंत्रित करना तथा समुदाय और संस्थान के द्वारा सर्वसहमति से चयन किया गया तत्पश्चात 40 देखभालकार्यकर्ता का प्रशिक्षण दिनांक 26 से 29 नबम्बर



2024 तक रखा गया जिसमें 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों के पोषण के लिए भोजन बनाने , स्वस्थता, बच्चों की देखरेक, स्वास्थ्य , बच्चों के अनुकूल माहौल , बच्चों की सुरक्षा विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया | सभी 20 केंद्र के चयन हेतु सामुदायिक बैठक कर समुदाय

की सहयोग से फायनल किया गया जिसमे 10 सरकारी मकान एवं 10 किराये के मकान पर संचालित है । लईका घर भवन के लिए समुदाय एवं पंचायत प्रतिनिधिओं की भूमिका अधिक रही , उनके सहयोग से चयन किया गया । सभी 20 केंद्र में प्रशिक्षित देखभाल कार्यकर्ता के माध्यम से केंद्र का सञ्चालन किया जा रहा है जिसमे बच्चों की पोषण , स्वास्थ्य, सुरक्षा व विकास के लिए कार्य की जा रही है ।

कार्यकर्ता क्षमता विकास प्रशिक्षण

संस्थान के सभी स्टाफ का प्रतिमाह बैठक किया जाता है जिसमे अलग अलग मुद्दे पर क्षमता बढ़ाने के कार्य किया जाता है । जिसमे महिला अधिकार , भूमि अधिकार कानून, पाक्सो एक्ट, बाल अधिकार , सायबर अपराध, मनरेगा कानून, पेशा कानून, जेंडर समानता, आजीविका के मुद्दे , जलवायु परिवर्तन , सरकारी विकास योजनायों तथा परियोजनागत मुद्दे पर पर क्षमता बढ़ाया गया । इसके साथ ही माह में किये कार्यों की समीक्षा की जाती है और जो कार्यों में चुनौती आ रहे हैं उसे कैसे निपटा जाये उसके लिए रणनीतिक योजना बनाकर कार्य किया जाता है ।

नेटवर्किंग मीटिंग

अन्य संस्थायों के साथ नेटवर्किंग मीटिंग -

जिला स्तर के अन्य संस्थायों के साथ महिला और भूमि की रिश्ता को लेकर 2 बार मीटिंग किया गया जिसमे महिला और भूमि की कांसेट पर समझ विकसित किया गया । इस मीटिंग में जिला स्तर के 4 संस्थायों ने भाग लिया । सभी संस्थायों ने अपनी अपनी कार्यों के बारे में बताया फिर लोक आस्था सेवा संस्थान द्वारा महिला भूमि स्वामित्व पर एक समानांतर समझ बनाया गया कि यदि हम भूमि/ जमीन के मुद्दे पर कार्य कर ही रहे तो क्यों हम महिला को भूमि के साथ जोड़कर कार्य की जाये जिससे समाज में व्याप्त असमानता को दूर किया जा सके तथा जो घर परिवार में महिलाओं के साथ हिंसा हो रहे हैं उसे भी दूर किया जा सकता है ।

विभागीय इंटरफेस मीटिंग -

लोक आस्था सेवा संस्थान जिला स्तर पर विभिन्न कमिटी में शामिल है और विभिन्न कमेटी द्वारा होने वाली मीटिंग के माध्यम से विभाग के साथ मुद्दे पर चर्चा करना तथा ग्रामीण स्तर की समस्यायों को चिन्हांकित कर मुद्दे की निराकरण के लिए विभाग के साथ बातचीत करना और समस्यायों पर हल करवाना । इस मीटिंग के माध्यम से योजनायों को ग्रामीण स्तर तक पहुँच बनाना , समुदाय की डर , द्विज्ञक को दूर करना और उन्हें लीडरशिप की मूमिका में लाना ।

विभिन्न सरकारी विकास योजनायो से लाभान्वित करने हेतु सहयोग करना

No.	Name of Scheme	No. of Beneficiary
1	New Ration Card (PDS)	123
2	Name add in Ration Card (PDS)	71
3	Starting Pension amount Recivied after application submitted to Panchayat	19
4	Aadhar Update	13
5	PM Kisan Nidhi KYC updated	54
6	Registered under AAyusman card	81
7	Mahtari vandan yojna	512
8	Other	222

संस्था मे बोर्ड सदस्य लता नेताम जो कि संस्थान की मुख्याकार्यकारी /सचिव के पद पर रहकर पूरा समय कार्य कर रही है जिसका संस्थान से परियोजनगत कार्यों से मानदेय राशि प्राप्त करती है जिसे आयकर रिटर्न मे 10B मे जानकारी भी दी जाती है ।

जिला स्तर पर बने विभिन्न कमेटियो में लोक आस्था सेवा संस्थान के साथियों को शामिल किया गया है

1. सखी वन स्टाफ सेंटर (महिला एवं बाल विकास विभाग गरियाबंद) की संचालन कमिटी जिला गरियाबंद - सदस्य
2. अध्यक्ष - (लता नेताम -लोक आस्था सेवा संस्थान) जिला स्तरीय कार्य स्थल पर सेक्सुअल हासमेंट कमिटी जिला गरियाबंद
3. जेल निरिक्षण टीम , किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत जिला गरियाबंद

FINANCIAL STATEMENT

LOK ASTHA SEWA SANSTHAN - PARAGAON , POST - MARODA , DIST. - GARIYABAND
CONSOLIDATED RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT
For the Period 1 April 24 to 31 March 2025

Receipt	Amount	Payment	Amount
Opening Balance			
Cash & Bank Balance -FC	1453710.46	Expenses Program& Admin - FC	5065798.77
Cash & Bank Balance -LC	343966.45	Expenses Progam & Admin- LC	6867496.66
Grant & Donation Received -FC	5330452.00	Loan & Advance Payment -LC	63125.00
Grant & Donation Received -LC	7,442,639.00		
Tax Refund	3,110.00		
Bank Interest -FC	48,245.00	Closing Balance	
Bank Interest-LC	12,658.00	Cash & Bank Balance -FC	1779028.69
Cheque return	12,420.00	Cash & Bank Balance -LC	871751.79
	14,647,200.91		14,647,200.91

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE


FOR:LOK ASTHA SEWA SANSTHAN
GARIYABAND


PRESIDENT

PLACE:RAIPUR
Date: 10/06/2025



FOR:JAIN M PRASAD & CO.
Chartered Accountants


(MP JAIN)
Partner
M.No.054958
UDIN-25054958NUICK5681

LOK ASTHA SEWA SANSTHAN - PARAGAON , POST - MARODA , DIST. - GARIYABAND
CONSOLIDATED INCOME&EXPENDITURE ACCOUNT
For the Period 1 April 24 to 31 March 2025

EXPENDITURE	Amount	INCOME	Amount
Expenditure- FC	4982048.77	Grant & Donation Received -FC	5342872.00
Expenditure- LC	5883249.66	Grant & Donation Received -LC	28,378.00
Depriication	69,985.00	Bank Interest -FC	48,245.00
Excess of Income Over Expenditure	1196869.57	Bank Interest-LC	12,658.00
		Grant Received	6,700,000.00
	12132153.00		12,132,153.00

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE


FOR:LOK ASTHA SEWA SANSTHAN
GARIYABAND


PRESIDENT

PLACE:RAIPUR
Date: 10/06/2025



FOR:JAIN M PRASAD & CO.
Chartered Accountants


(MP JAIN)
Partner
M.No.054958
UDIN-25054958NUICK5681

LOK ASTHA SEWA SANSTHAN, GARIYABAND (C.G)
CONSOLIDATED BALANCE SHEET as on 31-03-2025

LIABILITIES	Amount	ASSETS	Amount
CORPUS FUND	39,000.00	FIXED ASSETS	
		LOCAL ACCOUNT	286,088.00
		FC A/C	96,842.00
GENERAL FUND		CURRENT ASSETS	
Opening Balance	383183.45	Project Receivable	574,632.00
Add:Excess of Expenditure over Income	807781.34	TDS Recieble	9,000.00
	1,190,964.79	Program Advance	63,125.00
F.C.ACCOUNT		Clossing Balance	
Opening Balance	1486782.46	Cash & Bank Balance -FC	1,779,028.69
<u>Add: Excess of Income over Expenditure</u>	389088.23	Cash & Bank Balance -LC	871,751.79
<u>Project Paybal</u>	574,632.00		
TOTAL RUPEES	3,680,467.48	TOTAL RUPEES	3,680,467.48

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE


FOR:LOK ASTHA SEWA SANSTHAN
GARIYABAND


PRESIDENT

PLACE:RAIPUR
Date: 10/06/2025



FOR:JAIN M PRASAD & CO.
Chartered Accountants


(MP JAIN)
Partner
M.No.054958
UDIN-25054958NUICK5681

President /Secretary

Lok Astha Sewa Sansth

